भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3923

उत्तर देने की तारीखः 25.03.2025

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रवृत्ति योजना

3923. श्री ए. राजा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए उपलब्ध विशिष्ट छात्रवृत्ति योजनाओं का विशेष रूप से तमिलनाडु सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में इन छात्रवृत्तियों से लाभान्वित छात्रों की कुल संख्या कितनी है तथा राज्य/वर्ष और जिलावार संवितरित की गई राशि कितनी है; और

(ग) क्या पात्र छात्रों के बीच इन छात्रवृत्तियों के बारे में जागरूकता और पहुंच बढ़ाने के लिए कोई पहल की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु सहित देश में अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

1. अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए मैटिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना
2. अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
3. अनुसूचित जातियों के यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस-एससी): इस योजना के अंतर्गत 4 घटक हैं जो इस प्रकार हैं:

i. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए टॉप क्लास छात्रवृत्ति योजना (टीसीएस)

ii. अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना (एफसीएस)

iii. राष्ट्रीय ओवरसीज़ छात्रवृत्ति (एनओएस)

iv. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (एनएफएससी)

4. ओबीसी और अन्य हेतु वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना (ओबीसी और अन्य के लिए पीएम-यशस्वी): इस योजना के अंतर्गत 4 घटक हैं, जो इस प्रकार हैं:

i. ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए मैटिक-पूर्व छात्रवृत्ति

ii. भारत में अध्ययनरत ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

iii. ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए स्कूलों में टॉप क्लास शिक्षा

iv. ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए कॉलेजों में टॉप क्लास शिक्षा

5. यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (ओबीसी और अन्य के लिए श्रेयस): ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप

6. लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा स्कीम (श्रेष्ठ)

i. मोड-1, प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति के 3,000 मेधावी छात्रों को सीबीएसई/राज्य बोर्डों से संबद्ध निजी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा (एनईटीएस) के माध्यम से चुना जाता है। उन्हें कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई पूरी होने तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

ii. मोड-2, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर गैर-आवासीय विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों की परियोजनाओं को चलाने के लिए संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

7. जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु सहित देश में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कार्यान्वित छात्रवृत्ति योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

i. अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैटिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना (कक्षा IX और X)

ii. अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (कक्षा XI तथा उससे ऊपर)

iii. अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय फेलोशिप

iv. अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति

v. अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज़ छात्रवृत्ति (टॉप क्लास)

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान इन छात्रवृत्ति योजनाओं से लाभान्वित छात्रों के साथ-साथ तमिलनाडु में वितरित की गई राशि, राज्य/वर्ष-वार एवं जिला-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

अनुसूचित जातियों एवं अन्य के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना; तथा अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के संबंध में विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है। अनुसूचित जातियों और अन्य लोगों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) वर्ष 2022-23 से शुरू हुआ था। इस प्रकार, डीबीटी की शुरूआत से पहले अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लाभार्थियों का जिला-वार विवरण विभाग द्वारा नहीं रखा गया है।

अनुसूचित जातियों के यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस-एससी) की व्यापक योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसलिए, इस योजना के अंतर्गत कोई राज्य-वार/जिला-वार वितरण नहीं है।

जहाँ तक ओबीसी और अन्य हेतु वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना (ओबीसी और अन्य के लिए पीएम-यशस्वी) और; यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना (ओबीसी और अन्य के लिए श्रेयस): ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप का संबंध है, पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य सहित इन छात्रवृत्तियों से लाभान्वित छात्रों और वितरित की गई राशि का विवरण **संलग्नक-II** में दिया गया है। इन योजनाओं के अंतर्गत जिला-वार डाटा नहीं रखा जाता है।

जहां तक लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा स्कीम (श्रेष्ठ) का संबंध है, अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाती है। हालांकि, मोड-। में, कक्षा 9वीं और 11वीं में अनुसूचित जाति के छात्रों के प्रवेश के लिए निजी आवासीय विद्यालयों को कक्षा 12वीं तक की शिक्षा पूरी करने हेतु शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। तमिलनाडु राज्य सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा **संलग्नक-III** में दिया गया है। इन योजनाओं के अंतर्गत जिला-वार डाटा नहीं रखा जाता है।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं का विवरण **संलग्नक-IV** में दिया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना (एनओएस) के तहत पिछले 3 वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य से कोई लाभार्थी नहीं है।

(ग): पात्र छात्रों के मध्य इन छात्रवृत्तियों के प्रति जागरूकता और पहुंच बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

(i) अनुसूचित जातियों एवं अन्य के लिए मैटिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना; तथा अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

i. राज्यों की प्रगति की समीक्षा करने के साथ-साथ किसी भी लंबित मुद्दे का समाधान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के साथ नियमित क्षमता निर्माण और हैंडहोल्डिंग/क्लस्टर/क्षेत्रीय बैठकें और/या कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।
ii. आउटरीच को बढ़ावा देने और जागरूकता बढ़ाने के लिए विज्ञापन:

- योजना के अंश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम) पर अपलोड किए जा रहे हैं।
- हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में वर्गीकृत विज्ञापन प्रकाशित किए जा रहे हैं।

iii. क्षेत्रीय दौरे: अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित अधिकारी उनकी चिंताओं को समझने के लिए राज्यों के विभिन्न संस्थानों का दौरा करते हैं।
iv. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की मासिक समीक्षा: यह विभाग राज्य-वार मासिक आधार पर योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करता है।

(ii) अनुसूचित जातियों के यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस-एससी):-

i. ट्विटर और फेसबुक अभियान चलाए जाते हैं।
ii. पूरे भारत में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाते हैं।
iii. यह मंत्रालय पूरे देश में योजना के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इस योजना का विवरण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा, इस योजना की विशेषताओं को ऑल इंडिया रेडियो के रेडियो चैनलों के माध्यम से 'संवरती जाए जीवन की राहें' कार्यक्रम में भी प्रसारित किया जाता है।
iv. राज्यों के प्रधान सचिवों को अपने राज्यों में इन योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए पत्र लिखे गए हैं।

(iii) ओबीसी और अन्य हेतु वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना (ओबीसी और अन्य के लिए पीएम-यशस्वी) और; यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना (ओबीसी और अन्य के लिए श्रेयस): ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप:

i. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) में शामिल राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए नियमित रूप से सहयोगात्मक बैठकें/कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं।

ii. अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने, संस्थानों द्वारा दोहराव और गलत दावों पर नियंत्रण करने के लिए ऑनलाइन आरंभ से अंत तक प्रोसेसिंग, ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से पात्रता क्रेडेंशियल्स का सत्यापन किया जाता है।

iii. केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के मामले में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से केन्द्रीय अंश सीधे छात्रों के आधार-समर्थित बैंक खाते में जारी किया जाता है।

iv. योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए विभाग द्वारा अनिवार्य वार्षिक निरीक्षण किया जाता है, उपयोगिता प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाता है तथा राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर तथा राज्य स्तर पर बैठकें आयोजित करके समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय दौरा करने जैसे कदम उठाए जाते हैं।

v. इस विभाग में एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) भी स्थापित की गई है। यह विभाग अन्य पक्ष के मूल्यांकन अध्ययनों के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा भी करता है, अध्ययनों में पाया गया है कि ये योजनाएं वांछित उद्देश्यों को प्राप्त कर रही हैं और इन्हें जारी रखने की सिफारिश की गई है।

vi. इसके अलावा, समय पर धनराशि जारी करने के लिए, राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) और केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) की प्रणाली को अपनाया गया है जो स्कॉलरों को छात्रवृत्ति/फेलोशिप जारी करना सुनिश्चित करती है।

(iv) अनुसूचित जनजाति के छात्रों से संबंधित छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में योजनाओं का विज्ञापन कर रहा है। राज्यों/संघ राज्य राज्य क्षेत्रों को संवेदनशील बनाकर भी जागरूकता पैदा की जाती है। आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं और इसके बारे में विस्तृत जानकारी जनजातीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है। मंत्रालय प्रिंट मीडिया में राष्ट्रीय फेलोशिप और राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति का विज्ञापन जारी करता है। राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे अनुसूचित अनुसूचित जनजाति के छात्रों को केंद्र प्रायोजित योजना के बारे में जागरूक करें और छात्रों को को आधार, बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र आदि जैसे बुनियादी दस्तावेज तैयार करने में मदद करें ताकि छात्र योजनाओं के अंतर्गत लाभ उठा सकें। टॉप क्लास छात्रवृत्ति योजना और राष्ट्रीय राष्ट्रीय फेलोशिप योजना के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों और संस्थानों से कहा गया है कि वे छात्रों को योजना के बारे में जागरूक करें और पोर्टल खुलने पर उन्हें आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करें।

संलग्नक-I

दिनांक 25.03.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3923 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (राज्य-वार):

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22		2022-23		2023-24	
		जारी केन्द्रीय सहायता	लाभार्थियों की संख्या	जारी केन्द्रीय सहायता	लाभार्थियों की संख्या	जारी केन्द्रीय सहायता	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	29855	243823	37259	238915	20,049.99	195269
2	असम	0	0	920	11140	1,390.34	8426
3	बिहार	0	0	3754	136340	2,129.34	68975
4	चंडीगढ़	154	899	242	876	59.25	287
5	छतीसगढ	2900	87464	4501	96267	3,613.57	79237
6	दमन और दीव	0	0	20	98	0	
7	दिल्ली	0	0	1367	7531	997.34	3,160
8	गोवा	0	0	0.31152	1	4.31	34
9	गुजरात	10258	97697	22026	113531	38,423.12	1,79,116
10	हरियाणा	0	0	13158	87913	12,058.49	70,464
11	हिमाचल प्रदेश	0	0	1760	21502	2,240.61	23,959
12	जम्मू एवं कश्मीर	3	100	543	10097	468.21	7,370
13	झारखंड	412	7805	1818	33922	3,139.39	44,610
14	कर्नाटक	6542	131448	34200	458548	42,108.48	4,03,965
14	केरल	4578	90866	5682	42521	11,917.31	1,55,319
16	मध्य प्रदेश	828	48270	33505	445319	36,680.48	3,46,289
17	महाराष्ट्र	6301	68576	35942	148573	1,65,298.17	7,49,317
18	मणिपुर	0	0	734	8988	193.94	2,125
19	ओडिशा	7822	75530	33833	299369	12,744.10	1,43,861
20	पुदुचेरी	0	0	361	3904	285.47	2,564
21	पंजाब	20976	152157	6281	40708	28,486.98	1,99,508
22	राजस्थान	9567	217176	24138	303252	14,713.18	1,51,922
23	सिक्किम	0	0	76	448	52.29	216
24	तमिलनाडु	29350	481659	71634	506425	71188	640598
25	तेलंगाना	0	0	0	0	0	
26	त्रिपुरा	0	0	3892	22278	4,093.43	16,858
27	उत्तर प्रदेश	53728	868554	92600	1269634	67,483.28	9,49,934
28	उत्तराखंड	0	0	1259	27735	1,293.69	23,804
29	पश्चिम बंगाल	11226	493099	6336	273953	6,248.09	2,68,228
	कुल	**193038**	**3025136**	**438832**	**4647135**	**547542**	**4738578**

अनुसूचित जाति के छात्रों और अन्य के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना (राज्य-वार):

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22		2022-23		2023-24	
		जारी केन्द्रीय सहायता	लाभार्थियों की संख्या	जारी केन्द्रीय सहायता	लाभार्थियों की संख्या	जारी केन्द्रीय सहायता	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	5892	245595	0	0	5,614	2,21,219
2	असम	0	418	0	0	0	14
3	बिहार	7534	473106	1426.9716	132127	1,576	1,46,660
4	चंडीगढ़	36	1634	45.64	1304	38	1,097
5	छतीसगढ	0	0	0	0	888	41,271
6	दमन और दीव	0	51	0.49	14	0	8
7	दिल्ली	699	3771	10.518	501	16	761
8	गोवा	0	29	0.126	6	0	0
9	गुजरात	5438	270489	1643.2161	77116	5,759	2,73,157
10	हरियाणा	0	0	0	0	0	0
11	हिमाचल प्रदेश	374	16759	0	0	770	24,536
12	जम्मू एवं कश्मीर	23	13359	0	0	54	2,584
13	झारखंड	420	57745	0	0	0	0
14	कर्नाटक	7658	271576	4202.499	200119	4,921	2,35,562
14	केरल	1092	61622	891.0048	42003	256	11,999
16	मध्य प्रदेश	4737.2	355000	0	0	0	0
17	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0
18	मणिपुर	38	571	0	0	26	676
19	ओडिशा	2876	92329	645.708	29047	708	31,486
20	पुदुचेरी	82	1349	0	0	15	704
21	पंजाब	3551	196843	1950.438	92604	2,165	1,03,357
22	राजस्थान	3673	240500	0	0	2,823	1,35,092
23	सिक्किम	2	54	0	0	0	8
24	तमिलनाडु	6064	341246	2212.224	104324	7,093	3,35,642
25	तेलंगाना	221	26175	0	0	0	0
26	त्रिपुरा	30	10211	129.528	4075	67	2,105
27	उत्तर प्रदेश	3732	320390	6010.7103	373692	7,966	3,82,766
28	उत्तराखंड	469	14368	0	0	312	9,940
29	पश्चिम बंगाल	2377	223209	1624.056	77336	3,636	1,68,896
	कुल	**57018.2**	**3238399**	**20793.13**	**1134268**	**44,665**	**21,29,540**

वित्त वर्ष 2021-22: अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

जिले का नाम	लाभार्थियों की संख्या	जारी केंद्रीय हिस्से की राशि
अरियलूर	6,842	3,77,24,490
चेन्नई	30,277	12,89,72,846
कोयंबत्तूर	17,996	18,70,66,720
कुड्डलोर	29,683	16,89,46,551
धर्मपुरी	10,379	6,71,27,136
डिंडीगुल	13,747	7,85,15,369
इरोड	10,857	8,28,51,539
कांचीपुरम	30,576	24,92,60,614
कन्याकुमारी (मुख्यालय: नागर कोइल)	2,926	3,07,48,482
करूर	7,224	5,27,64,079
कृष्णागिरी	7,713	3,72,27,523
मदुरै	15,441	8,43,09,358
नागपट्टिनम	19,156	8,19,45,140
नामक्कल	16,340	17,82,50,439
नीलगिरी (मुख्यालय: उधगामा)	5,025	1,35,30,858
पेरम्बलूर	8,812	7,71,27,405
पुदुकोट्टई	11,251	7,55,31,206
रामनाथपुरम	6,818	2,39,23,547
सेलम	19,832	12,28,04,846
शिवगंगा	8,741	5,72,37,769
तंजावुर	20,669	12,56,02,176
थेनी	7,729	3,25,56,688
थूथुकुडी	10,303	5,16,78,879
तिरुचिरापल्ली	20,292	15,95,34,105
तिरुनेलवेली	16,672	11,52,38,421
तिरूप्पुर	9,434	3,96,56,379
तिरुवल्लुर	20,432	14,05,50,283
तिरुवन्नामलई	18,279	8,63,02,586
तिरुवरुर	15,002	4,77,40,914
वेल्लोर	21,644	10,53,42,171
विल्लुपुरम	30,142	14,12,26,152
विरुधुनगर	11,425	5,38,01,420
कुल	**4,81,659**	**2,93,50,96,091**

वित्त वर्ष 2022-23:

जिले का नाम	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना		अनुसूचित जातियों एवं अन्य के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना	
	लाभार्थियों की संख्या	जारी केंद्रीय हिस्से की राशि	लाभार्थियों की संख्या	जारी केंद्रीय हिस्से की राशि
अरियलूर	7,397	8,58,04,355	1,737	36,72,900
चेंगलपट्टू	11,542	11,06,11,668	3,598	75,55,800
चेन्नई	19,541	15,68,45,077	4,133	87,10,800
कोयंबत्तूर	17,045	35,34,07,810	3,259	69,04,800
कुड्डलोर	25,581	32,98,49,306	5,649	1,20,70,800
धर्मपुरी	12,928	18,41,33,211	2,497	53,42,400
डिंडीगुल	11,791	16,34,47,689	3,386	71,33,700
इरोड	11,800	17,77,66,727	3,628	76,67,100
कल्लाकुरिची	10,092	14,05,49,492	3,071	65,35,200
कांचीपुरम	23,406	47,23,19,323	2,486	52,89,900
कन्याकुमारी (मुख्यालय: नागर कोइल)	5,285	12,90,39,615	514	10,87,800
करूर	6,516	10,18,03,832	1,186	24,90,600
कृष्णागिरी	8,464	11,84,48,363	1,929	41,81,100
मदुरै	10,950	14,24,94,454	3,553	76,18,800
माइलादुत्रयी	5,382	6,89,36,086	1,749	36,91,800
नागपट्टिनम	11,568	16,05,52,329	2,014	42,56,700
नामक्कल	24,697	52,67,05,022	2,993	64,00,800
नीलगिरी (मुख्यालय: उधगामा)	4,443	4,54,56,881	1,409	30,28,200
पेरम्बलूर	8,439	13,48,53,583	1,464	30,91,200
पुदुकोट्टई	15,708	23,17,58,438	2,687	57,58,200
रामनाथपुरम	7,192	7,77,94,737	1,544	32,42,400
रानीपेट	5,153	6,18,74,278	1,785	37,50,600
सेलम	28,369	41,69,19,767	5,170	1,11,13,200
शिवगंगा	8,583	10,47,01,228	1,596	33,85,200
तेनकासी	6,150	6,77,77,858	1,884	39,66,900
तंजावुर	17,055	21,25,75,195	2,893	61,92,900
थेनी	7,120	8,18,13,944	2,464	51,97,500
थूथुकुडी	10,649	12,40,74,408	2,760	59,26,200
तिरुचिरापल्ली	21,688	35,27,09,168	3,369	71,14,800
तिरुनेलवेली	12,823	22,50,89,786	2,233	47,35,500
तिरुपत्तूर	4,125	5,36,81,659	1,503	31,64,700
तिरूप्पुर	9,676	11,13,92,580	3,721	78,16,200
तिरुवल्लुर	24,323	37,06,55,563	3,761	79,10,700
तिरुवन्नामलई	23,871	26,05,39,296	4,229	89,90,100
तिरुवरुर	13,468	13,53,49,551	2,901	60,92,100
वेल्लोर	15,124	21,06,59,842	1,933	40,80,300
विल्लुपुरम	23,481	28,42,83,097	4,086	85,89,000
विरुधुनगर	15,000	17,67,55,798	3,550	74,65,500
कुल	**5,06,425**	**7,16,34,31,016**	**1,04,324**	**22,12,22,400**

वित्त वर्ष 2023-24:

जिले का नाम	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना		अनुसूचित जातियों एवं अन्य के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना	
	लाभार्थियों की संख्या	जारी केंद्रीय हिस्से की राशि	लाभार्थियों की संख्या	जारी केंद्रीय हिस्से की राशि
अरियलूर	8,177	9,78,00,495	4,317	91,26,600
चेंगलपट्टू	26,104	38,74,80,458	11,773	2,47,25,400
चेन्नई	34,868	30,76,57,366	16,004	3,36,33,600
कोयंबत्तूर	19,347	30,56,04,623	8,939	1,89,42,000
कुड्डलोर	32,064	39,47,51,360	13,257	2,85,54,000
धर्मपुरी	12,772	16,70,59,682	5,933	1,26,14,700
डिंडीगुल	19,496	21,39,41,504	8,655	1,82,32,200
इरोड	14,244	14,94,99,355	9,143	1,93,36,800
कल्लाकुरिची	16,684	19,90,80,006	11,590	2,45,39,100
कांचीपुरम	23,147	29,07,73,037	10,555	2,22,97,800
कन्याकुमारी (मुख्यालय: नागर कोइल)	7,542	11,77,89,702	3,905	82,21,500
करूर	10,125	9,48,60,818	5,038	1,06,19,700
कृष्णागिरी	12,142	11,74,89,253	5,899	1,27,65,900
मदुरै	20,577	17,30,25,219	13,618	2,88,35,100
माइलादुत्रयी	14,265	11,19,76,160	6,134	1,29,99,000
नागपट्टिनम	12,563	13,73,62,691	5,410	1,13,79,900
नामक्कल	19,455	34,97,15,802	7,114	1,52,46,000
नीलगिरी (मुख्यालय: उधगामा)	10,356	6,54,53,835	6,657	1,40,80,500
पेरम्बलूर	13,727	14,75,37,569	6,647	1,40,13,300
पुदुकोट्टई	15,851	19,86,70,495	8,249	1,74,34,200
रामनाथपुरम	9,906	8,48,77,542	6,797	1,42,73,700
रानीपेट	10,503	11,08,25,859	6,652	1,40,11,200
सेलम	22,494	29,62,61,236	10,832	2,28,79,500
शिवगंगा	9,734	10,82,26,167	5,341	1,13,26,500
तेनकासी	11,318	10,21,06,396	8,195	1,72,26,300
तंजावुर	21,173	23,54,79,974	8,873	1,88,26,500
थेनी	10,248	9,81,38,614	5,463	1,14,93,300
थूथुकुडी	11,091	11,83,76,184	6,445	1,37,05,200
तिरुचिरापल्ली	26,824	38,61,21,917	10,750	2,27,40,900
तिरुनेलवेली	16,552	17,07,30,302	9,534	2,01,09,600
तिरुपतूर	8,286	8,13,94,393	7,151	1,50,61,200
तिरूप्पुर	14,662	11,48,40,408	8,014	1,68,33,600
तिरुवल्लुर	26,021	38,98,68,449	11,155	2,34,88,500
तिरुवन्नामलई	20,243	19,20,66,076	13,507	2,86,34,700
तिरुवरुर	18,765	12,81,04,619	11,692	2,45,53,200
वेल्लोर	16,525	11,02,05,605	9,931	2,09,53,800
विल्लुपुरम	28,074	22,08,45,755	14,090	2,96,05,800
विरुधुनगर	14,673	14,28,71,198	12,383	2,60,21,100
कुल	**6,40,598**	**7,11,88,70,124**	**3,35,642**	**70,93,41,900**

संलग्नक-II

दिनांक 25.03.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3923 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

<u>ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति</u>

(रुपए और लाभार्थी लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22		2022-23		2023-24	
		जारी निधियां	लाभार्थियों की संख्या	जारी निधियां	लाभार्थियों की संख्या	जारी निधियां	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	199.50	2.30365	1237.00	10.63691	2500.00	5.84
2	बिहार	4000.00	0	1094.50	0	0	0
3	छत्तीसगढ	104.50	0	0	0	0	0
4	गोवा	10.00	0.01	73.75	0.00206	4.80	0.0027
5	गुजरात	800.00	5.20	9164.82	4.65956	2394.00	3.70
6	हरियाणा	0.00	0	0	0	0	0
7	हिमाचल प्रदेश	30.00	0.1311	480.24	0.07287	403.20000	0.09
8	जम्मू एवं कश्मीर	80.00	0	0	0	0	0
9	झारखंड	2000.00	2.27	480.00	2.39455	735.00	2.45
10	कर्नाटक	2500.00	8.48	0	0	3714.6	1.54
11	केरल	1800.00	12.50	336.51	0.14000	1917.60	0.80
12	मध्य प्रदेश	0.00	0	0	0	0	0
13	महाराष्ट्र	1508.08	5.31	2963.89	0	0	0.92
14	ओडिशा	788.99	0.59	754.605	0.35917	479.83	0.20
15	पंजाब	114.50	1.75	938.42	2.35510	969.25	0.42
16	राजस्थान	2972.55	0.25	3352.39	0	0	0
17	तमिलनाडु	2694.72	4.69	4419.815	3.05000	4046.52	2.93
18	तेलंगाना	0.00	0.01	0	0.00478	0	0
19	उत्तर प्रदेश	848.00	11.21	5741.995	0.76750	2040.00	0.61
20	उत्तराखंड	50.00	0.09	147.00	0	0	0
21	पश्चिम बंगाल	544.00	3.13	2708.874	0.10128	0	0.49
22	असम	81.65	0	1758.50	0.11114	0	0
23	मणिपुर	124.756	Nil	152.00	1.11000	126.61	0.0016
24	सिक्किम	7.720	0.00484	2.56	0.00039	1.41	0.0006
25	त्रिपुरा	214.94	0.33	271.825	0.23306	163	0.22
26	अंडमान और निकोबार द्वीप	10.50	0.00699	10.975	0	0	0
27	चंडीगढ़	14.50	0	30.50	0.00144	0	0.009
28	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	55.00	0	14	0	0	0
29	दिल्ली	223.75	0.32	0	0.02711	0	0.0008
30	पुडुचेरी	51.25	0.034	3.73	0	50	0.03
	कुल	**21828.90**	**58.62**	**36137.90**	**26.027**	**19545.82**	**20.2547**

ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(रुपए और लाभार्थी लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22		2022-23		2023-24	
		जारी निधियां	लाभार्थी	जारी निधियां	लाभार्थी	जारी निधियां	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	563.75	10.30	6324.25	6.47	13378.00	6.77
2	बिहार	10363.00		0.00	0	0	0
3	छत्तीसगढ	292.75	3.2685	0.00	0	0	2.70
4	गोवा	17.00	0.00146	172.06	0.00718	27.31	0.009
5	गुजरात	6018.00	2.04	11048.25	1.10	12748.16	4.08
6	हरियाणा	0.00	0.31	1842.65	0.17	1042.82	0.81
7	हिमाचल प्रदेश	179.08	0.11	1057.15	0.13	1100.71	0.17
8	जम्मू एवं कश्मीर	530.25	0.22	0	0.00	0	0
9	झारखंड	5215.42	2.02	0	0	7731.00	3.52
10	कर्नाटक	5000.00	0	4506.64	0	15392.12	2.94
11	केरल	6000.00	0	3600.00	0	0	0
12	मध्य प्रदेश	11088.00	0.62	12519.48	0	0	1.85
13	महाराष्ट्र	23699.50	5.30	6921.12	5.45	0	5.45
14	ओडिशा	6144.73	1.80	3340.80	1.94	2506.08	0.50
15	पंजाब	0.00	0	0.00	0	0	0
16	राजस्थान	10226.00	0.77	2757.95	0.76	0	0.36
17	तमिलनाडु	16079.00	4.53	8297.13	4.53	13500.00	4.76
18	तेलंगाना	3547.00	6.59	0.00	6.86	2318.13	1.56
19	उत्तर प्रदेश	19908.00	1.74	21000.00	1.32	21000	1.83
20	उत्तराखंड	514.83	0	1499.28	0	2281.48	0
21	पश्चिम बंगाल	1050.25	3.31684	9782.85	1.38	0	0.69
22	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	33.95	0	0.00	0	0	0
23	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	59.79	0	94.55	0	65.7	0.006
24	चंडीगढ़	30.50	0.0031	81.43	0.0028	0	0
25	दिल्ली	164.99	0.06	270.00	0.04	98.77	0.023
26	पुडुचेरी	11.98	0.03065	106.50	0	170.32	0
27	असम	1187.25	0	0.00	0.64	0	0.18
28	मणिपुर	102.75	Nil	1044.73	0	1572.00	0.20
29	सिक्किम	445.90	0.05	930.23	0.025	0	0.016
30	त्रिपुरा	3540.00	0.26	3364.23	0.18	3872.56	0
	कुल:	**132013.67**	**43.34**	**100561.28**	**31.00**	**98805.16**	**38.424**

१०

ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के छात्रों के लिए कालेजों में टॉप क्लास शिक्षा (वर्ष 2022-23 में आरंभ)

क्र.सं.	राज्य	2022-23		2023-24	
		लाभार्थियों की संख्या	राशि (रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (रुपए में)
1	अंडमान और निकोबार	3	1225	1	75000
2	आंध्र प्रदेश	0	0	188	3938961
3	असम	2	250000	19	459435
4	बिहार	27	320693	82	4434412
5	छत्तीसगढ	6	96504	0	0
6	दमन और दीव	0	0	0	0
7	दिल्ली	10	421923	4	261713
8	गुजरात	224	4756096	441	9918420
9	हरियाणा			72	850855
10	हिमाचल प्रदेश	4	1120	2	2110
11	जम्मू और कश्मीर	2	32600	1	40000
12	झारखंड	4	162468	17	278633
13	कर्नाटक	23	828257	326	7451731
14	केरल	3	13835	58	587831
15	मध्य प्रदेश	119	1239274	622	8613509
16	महाराष्ट्र	33	313502	262	5230765
17	मणिपुर	11	246344	24	652176
18	ओडिशा			60	1047075
19	पंजाब	219	370134		0
20	राजस्थान	44	786635	13	422630
21	सिक्किम	2	59525	2	119050
22	तमिलनाडु	195	5430545	725	18781663
23	तेलंगाना	5	228000	43	838087
24	त्रिपुरा	3	25490	4	23770
25	उत्तर प्रदेश	332	2901758	145	2708570
26	उत्तराखंड	0	0	0	0
27	पश्चिम बंगाल	4	13837	60	38350
28	पुदुचेरी	0	0	6	216490
	कुल योग	**1275**	**18499765**	**3177**	**66991236**

ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए कॉलेज में टॉप क्लास शिक्षा (वर्ष 2023-24 में आरंभ):

क्र.सं.	राज्य	लाभार्थियों की संख्या	राशि (रुपए में)
1	अंडमान और निकोबार	1	75000
2	आंध्र प्रदेश	188	3938961
3	असम	19	459435
4	बिहार	82	4434412
5	छतीसगढ	0	0
6	दमन और दीव	0	0
7	दिल्ली	4	261713
8	गुजरात	441	9918420
9	हरियाणा	72	850855
10	हिमाचल प्रदेश	2	2110
11	जम्मू और कश्मीर	1	40000
12	झारखंड	17	278633
13	कर्नाटक	326	7451731
14	केरल	58	587831
15	मध्य प्रदेश	622	8613509
16	पुदुचेरी	6	216490
17	महाराष्ट्र	262	5230765
18	मणिपुर	24	652176
19	ओडिशा	60	1047075
20	पंजाब	0	0
21	राजस्थान	13	422630
22	सिक्किम	2	119050
23	तमिलनाडु	725	18781663
24	तेलंगाना	43	838087
25	त्रिपुरा	4	23770
26	उत्तर प्रदेश	145	2708570
27	उत्तराखंड	0	0
28	पश्चिम बंगाल	60	38350
	कुल योग	**3177**	**66991236**

ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22		2022-23		2023-24	
		स्कॉलरों की संख्या	वितरित राशि (रुपये में)	स्कॉलरों की संख्या	वितरित राशि (रुपये में)	स्कॉलरों की संख्या	वितरित राशि (रुपये में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	1	299316
2	आंध्र प्रदेश	52	22349691	45	15921931	48	19331372
3	अरुणाचल प्रदेश	2	574809	3	995444	3	1171102
4	असम	66	28564695	78	26272076	91	29656298
5	बिहार	78	36373288	97	34756581	136	58058277
6	चंडीगढ़	3	279714	1	340121	2	1131903
7	छतीसगढ़	25	12134181	20	6141626	21	8965723
8	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	0	1	223021
9	दिल्ली	50	20061672	69	25427667	119	56582687
10	गोवा	10	4846321	9	2457983	7	3108969
11	गुजरात	48	18883176	35	12195344	34	11514083
12	हरियाणा	53	22182637	78	24291369	105	51474139
13	हिमाचल प्रदेश	6	2889517	8	2284593	13	4684290
14	जम्मू और कश्मीर	18	8087245	20	6709098	26	11330169
15	झारखंड	34	16056545	42	15384333	40	16319564
16	कर्नाटक	44	18383612	36	12067974	42	19002113
17	केरल	78	35977072	120	40231605	166	79274088
18	लद्दाख	0	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	53	21728616	48	16650378	61	26088547
21	महाराष्ट्र	72	27130399	56	17774162	51	22128530
22	मणिपुर	22	8651441	31	10567715	41	18399927
23	मेघालय	0	0	0	0	0	0
24	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
25	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	58	27743096	70	22137630	71	31218772
27	पुदुचेरी	7	2769317	10	3061335	11	5324270
28	पंजाब	23	9728212	25	7393258	29	12979402
29	राजस्थान	85	35374477	96	29881019	111	48294071
30	सिक्किम	6	2855865	6	2220096	8	2345304
31	तमिलनाडु	59	27988015	68	21241908	78	38441357
32	तेलंगाना	34	18804029	39	10712223	52	23405371
33	त्रिपुरा	5	2206343	7	2071591	7	2437785
34	उत्तराखंड	9	4342428	14	4395428	21	8319550
35	उत्तर प्रदेश	243	103084176	325	105560441	454	205190140
36	पश्चिम बंगाल	95	41946148	114	34976416	159	77456600
	कुल	**1338**	**581996737**	**1570**	**514121345**	**2009**	**894156740**

तमिलनाडु के संबंध में जारी

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	योजना	2021-22		2022-23		2023-24	
		जारी की गई धनराशि	लाभार्थी	जारी की गई धनराशि	लाभार्थी	जारी की गई धनराशि	लाभार्थी
1.	ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	2694.72	4.69 लाख	4419.815	3.05 लाख	4046.52	2.94 लाख
2.	भारत में अध्ययनरत ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	16079.00	4.53 लाख	8297.13	4.53 लाख	13500.00	4.76 लाख
3.	ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए विद्यालयों में टॉप क्लास शिक्षा	2022-23 के दौरान लॉन्च किया गया		0.59	2 (वास्तविक)	187.81	725 (वास्तविक)
4.	ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए कॉलेजों में टॉप क्लास शिक्षा	2023-24 के दौरान लॉन्च किया गया				570.86	150 (वास्तविक)
5.	ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप	279.88	59 (वास्तविक)	212.42	68 (वास्तविक))	384.41	78 (वास्तविक)

संलग्नक-IV

दिनांक 25.03.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3923 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	वित वर्ष 2021-22		वित वर्ष 2022-23		वित वर्ष 2023-24	
		जारी निधियां	लाभार्थी	जारी निधियां	लाभार्थी	जारी निधियां	लाभार्थी
1	अंडमान और निकोबार	8.03	199	-	386	-	193
2	आंध्र प्रदेश	3935.06	40465	-	40465	5700.16	83666
3	अरुणाचल प्रदेश	207.30	5811	267.44	7105	-	3879
4	असम	102.19	2656	107.41	5688	187.50	4353
5	बिहार	-	42679	-	26450	-	8451
6	छत्तीसगढ	-	136546	-	28868	5250.00	44837
7	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	206.62	2167	-	2017	-	1273
8	गोवा	-	1978	108.18	2108	52.50	1670
9	गुजरात	3689.18	184803	5451.67	137705	6200.00	90755
10	हिमाचल प्रदेश	-	2160	79.02	2479	110.00	2616
11	जम्मू एवं कश्मीर	-	5883	-	4999	-	4650
12	झारखंड	3899.03	136830		117439	5700.00	97487
13	कर्नाटक	1753.16	92742	2370.04	98393	3400.00	96880
14	केरल	347.07	7071	-	7604	436.46	7323
15	लद्दाख	74.22	1439	-	760	-	2884
16	मध्य प्रदेश	11458.18	328961	12743.85	253961	-	256701
17	महाराष्ट्र*	-	-	-	-	-	-
18	मणिपुर	-	3038		1836		3470
19	मेघालय	-	2406	115.48	1776	-	5590
20	मिजोरम	657.47	8148	-	10312	306.89	8911
21	नागालैंड	-	1354	-	-	-	-
22	ओडिशा	5236.75	137545	9397.06	79252	-	106691
23	पुदुचेरी	-	38	-	-	-	-
24	राजस्थान	6234.34	191728	3530.80	55667		76272
25	सिक्किम	-	296	17.84	49	-	62
26	तमिलनाडु	546.55	16854	404.46	15325	362.34	17580
27	तेलंगाना	-	3066	-	9255	150.00	2460
28	त्रिपुरा	58.55	17544	1136.76	15017	-	12115
29	उत्तर प्रदेश	88.17	3528	-	1579	-	2329
30	उत्तराखंड	-	1287	-	1464	15.00	902
31	पश्चिम बंगाल	912.51	28034	-	22691	2988.85	-
	कुल	**39414.37**	**1407256**	**35730.00**	**950650**	**30859.70**	**944000**

*राज्य ने अपने स्वयं के कोष से योजना को क्रियान्वित किया

संलग्नक-III

दिनांक 25.03.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3923 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

(रुपए लाख में)

मोड	जारी की गई धनराशि (2021-22)	लाभार्थियों की संख्या (2021-22)	जारी की गई धनराशि (2022-23)	लाभार्थियों की संख्या (2022-23)	जारी की गई धनराशि (2023-24)	लाभार्थियों की संख्या (2023-24)
मोड-I	36.32	50	227.1	198	404.64	341
मोड-II	117.96	400	119.92	445	0	0
कुल	**154.28**	**450**	**347.02**	**643**	**404.64**	**341**

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तिः

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24	
		जारी निधियां	लाभार्थी	जारी निधियां	लाभार्थी	जारी निधियां	लाभार्थी
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10.35	330	-	386	-	193
2	आंध्र प्रदेश	8991.45	117089	13356.50	129032	11471.08	114524
3	अरुणाचल प्रदेश	12360.50	44144	9616.49	46330	8000.00	43209
4	असम	1093.40	37370	6845.47	62102	3500.00	37182
5	बिहार	-	16156	-	3349	-	1206
6	छतीसगढ	-	173228	9330.35	162336	7125.00	118875
7	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	-	3352	-	2208	403.75	1053
8	गोवा	-	4047	1187.23	5199	526.54	3275
9	गुजरात	46170.25	259360	24426.38	179226	35000.00	244602
10	हिमाचल प्रदेश	-	3332	-	4303	-	4390
11	जम्मू और कश्मीर	-	8335	683.57	10772	746.25	7282
12	झारखंड	12654.88	121601	-	137570	5310.66	137570
13	कर्नाटक	17080.51	133748	-	131702	22556.05	126637
14	केरल	2516.49	14558	-	17652	4689.34	12721
15	लद्दाख	2214.00	8631	1891.27	8619	596.25	9795
16	मध्य प्रदेश	24529.43	426996	27048.58	234736	35000.00	225239
17	महाराष्ट्र	19214.82	105693	9026.85	106817	57035.80	130359
18	मणिपुर	4292.15	47793	4137.54	42567	3000.00	33542
19	मेघालय	2636.09	52598	14619.79	67026	8500.00	76755
20	मिजोरम	3874.64	33267	2590.31	38872	2500.00	31685
21	नागालैंड	4435.75	40588	3608.43	40638	3500.00	42774
22	ओडिशा	21842.98	207678	17133.30	204172	13564.10	213957
23	पुदुचेरी	-	50	-	-	-	-
24	राजस्थान	13744.70	188614	18810.10	236628	22000.00	168516
25	सिक्किम	1036.28	4457	925.44	2650	-	1849
26	तमिलनाडु	4849.38	24441	2854.28	23529	2000.00	22675
27	तेलंगाना	7503.90	126708	23851.18	114911	11250.00	131505
28	त्रिपुरा	7188.77	35911	4522.33	37380	4000.00	34464
29	उत्तर प्रदेश	-	18938	-	6427	1000.00	8656
30	उत्तराखंड	3568.37	3760	-	3534	187.50	3972
31	पश्चिम बंगाल	3872.05	78100	-	63198	3405.83	-
	कुल	**225681.13**	**2340873**	**196465.38**	**2123871**	**266868.15**	**1988462**

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (तमिलनाडु में जिलावार):

क्र.सं.	जिले का नाम	वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23	
		लाभार्थी	वितरित निधि (रु. में)	लाभार्थी	वितरित निधि (रु. में)
1	अरियालूर	256	750250	194	630700
2	चेन्नई	31	90075	111	346300
3	कोयंबतूर	497	1401725	371	1360500
4	कुड्डालोर	383	1138550	351	1157700
5	धर्मपुरी	1210	3548400	1033	3613400
6	डिंडीगुल	70	208075	91	287500
7	इरोड	341	951900	272	983150
8	कांचीपुरम	942	2749775	666	2140100
9	कन्याकुमारी	106	318925	147	622000
10	करूर	5	14325	8	24450
11	कृष्णागिरी	446	1303400	326	1039650
12	मदुरै	115	335550	145	479400
13	नागपट्टिनम	67	187725	75	243550
14	नमक्कल	1545	4515675	1488	6235400
15	पेरम्बलुर	92	259725	76	256450
16	पुदुक्कोट्टई	5	15000	4	12450
17	रामनाथपुरम	4	11100	5	16350
18	सलेम	3259	9183625	2624	9828350
19	तंजावुर	33	91425	38	118050
20	नीलगिरी	597	1728975	573	2494500
21	थेनी	32	91875	25	80850
22	तिरुवल्लुर	778	2272525	507	1614700
23	थिरुवरुर	35	104525	30	97200
24	तिरुचिरापल्ली	467	1463950	372	1473100
25	तिरुनेलवेली	71	206075	95	294450
26	तिरुपूर	102	302550	115	362200
27	तिरुवन्नामलाई	1986	5770400	1526	5786550
28	तूतीकोरिन	-	-	58	179400
29	वेल्लोर	2523	7779000	1858	7240850
30	विल्लुपुरम	827	2372275	544	1763000
31	विरुधुनगर	27	77225	24	75150
	कुल योग	**16852**	**49244600**	**13752**	**50857400**

* वित्त वर्ष 2023-24 के लाभार्थियों का डाटा अभी तक तमिलनाडु राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (तमिलनाडु में जिलावार):

क्र.सं.	जिले का नाम	2021-22		2022-23	
		लाभार्थी	वितरित निधि (रु. में)	लाभार्थी	वितरित निधि (रु. में)
1	अरियालूर	274	2554798	217	729358
2	चेन्नई	515	5626917	145	1275684
3	कोयंबतूर	996	23846699	296	1172549
4	कुड्डालोर	507	6180527	363	1857076
5	धर्मपुरी	2009	25103973	1403	6425307
6	डिंडीगुल	273	4327186	91	330446
7	इरोड	499	8552218	230	814084
8	कांचीपुरम	1015	18759360	525	2040747
9	कन्याकुमारी	220	3824604	113	464974
10	करूर	51	1298050	12	54998
11	कृष्णागिरी	663	4915051	234	749666
12	मदुरै	295	3916108	145	679307
13	नागपट्टिनम	86	757480	114	660588
14	नमक्कल	3787	81036959	1630	7180366
15	पेरम्बलुर	232	3254116	75	219910
16	पुदुक्कोट्टई	44	889348	32	181980
17	रामनाथपुरम	6	108198	16	74932
18	सलेम	4721	67999392	2542	10134278
19	तंजावुर	131	1982107	50	280380
20	नीलगिरी	545	2606222	423	1958647
21	थेनी	61	595283	21	77459
22	तिरुवल्लुर	628	8393635	415	1612102
23	थिरुवरुर	57	468552	45	238389
24	तिरुचिरापल्ली	1063	12498041	537	2322348
25	तिरुनेलवेली	162	2928399	88	380502
26	तिरुपूर	206	2391480	128	485931
27	तिरुवन्नामलाई	1977	16028600	1630	6148045
28	तूतीकोरिन	43	675038	71	305409
29	वेल्लोर	2852	17173436	2218	8930311
30	विल्लुपुरम	575	3368630	683	3198695
31	विरुधुनगर	76	637255	47	217425
	कुल योग	**24569**	**332697662**	**14539**	**61201893**

* वित्त वर्ष 2023-24 के लाभार्थियों का डेटा अभी तक तमिलनाडु राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप योजना (एनएफएसटी) (तमिलनाडु में जिलावार):

तमिलनाडु के जिले	वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24	
	कुल शोधार्थी [संख्या]	शोधार्थियों को भुगतान की गई कुल राशि [रु. में]	कुल शोधार्थी [संख्या]	शोधार्थियों को भुगतान की गई कुल राशि [रु. में]	कुल शोधार्थी [संख्या]	शोधार्थियों को भुगतान की गई कुल राशि [रु. में]
चेन्नई	1	362072	1	610093	1	363494
कोयंबतूर	-	-	2	761708	1	306681
कुड्डालोर	2	394095	1	1021099	2	380692
धर्मपुरी	3	972926	3	917960	1	287861
कन्याकुमारी	-	-	1	691250	1	248674
मदुरै	-	-	1	1223416	1	299181
नमक्कल	5	1046902	3	1033744	4	558022
पेरम्बलुर	1	342341	1	544040	1	277437
सलेम	6	1356113	4	1725703	4	1645251
तिरुचिरापल्ली	2	1457445	2	1057659	1	115183
तिरुवन्नामलाई	2	620047	1	379250	1	25363
तूतीकोरिन	-	-	-	-	1	280564
वेल्लोर	2	847470	3	2050130	2	461114
विल्लुपुरम	2	463657	2	1143076	2	674851
विरुधुनगर	1	310192	1	365699	1	343437
डिंडीगुल	1	515345	-	-	-	-
थिरुवरुर	2	59589	1	92692	-	-
कुल	**30**	**8748194**	**27**	**13617519**	**24**	**6267805**

अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप और छात्रवृत्ति योजना (पहले इसे टॉप क्लास योजना के नाम से जाना जाता था):

तमिलनाडु के जिले	वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24	
	लाभार्थियों की संख्या	राशि (रु.)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (रु.)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (रु.)
चेन्नई	2	169350	3	81250	3	222550
कोयंबतूर	-	-	1	86800	1	51900
कुड्डालोर	1	37300	-	-	2	176400
धर्मपुरी	-	-	3	245800	5	362550
कल्लाकुरिची	-	-	-	-	**1**	**159600**
कृष्णागिरी	-	-	-	-	1	88200
नागपट्टिनम	-	-	1	76400	1	53100
नमक्कल	-	-	1	76400	1	53100
सलेम	-	-	1	273350	4	524350
नीलगिरी	-	-	2	158670	3	303628
तिरुवल्लुर	2	152900	-	-	-	-
थिरुवरुर	-	-	-	-	1	41000
तिरुचिरापल्ली	1	118800	-	-	-	-
तिरुवन्नामलाई	2	577030	2	544400	3	983808
कुल	**8**	**1055380**	**14**	**1543070**	**26**	**3020186**

*****